क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		सम्यक् तामील के उपरान्त अप्रार्थी हाजीर नहीं। अतः इनके ~~आ~~ विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त हम पाते हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थी विवादित भूमि के सहखातेदार हैं एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वाद की बहुलता को रोकने व वाद की विषय-वस्तु को बनाए रखने के लिए प्रा. पत्र के चरण सं. ② में उल्लेखित भूमि पर उभयपक्षों को तादेफैसला बाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner